भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2205
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

क्षेत्रीय भाषाओं में एलएलबी प्रवेश परीक्षाएं

2205 श्री हरनाथ सिंह यादव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि देश के कुछ शीर्षस्थ विधि शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश लेने हेतु प्रवेश परीक्षाएं केवल अंग्रेजी भाषा में आयोजित होती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या यह भी सच है कि अंग्रेजी भाषा में प्रवेश परीक्षाएं कराने से वंचित वर्गों के ऐसे छात्रों, जो न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं, के साथ भाषायी विभेद करके उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से वचित कर दिया जाता है और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त शिक्षण संस्थानों में हिन्दी सहित अन्य क्षेत्रीय मातृभाषाओं में भी प्रवेश परीक्षाएं कराने पर विचार करेगी ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन, भारतीय विधिज्ञ परिषद ने देश में विधिक शिक्षा के लिए एक नियामक निकाय होने के नाते सूचित किया है कि प्रवेश परीक्षा विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संघ द्वारा आयोजित की जाती है । जहां तक राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है, सामान्यतया, प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाती है और कुछ विश्वविद्यालयों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रवेश परीक्षा का विकल्प हो सकेगा । जहां तक भारतीय विधिज्ञ परिषद के विधिक शिक्षा के अपने नियमों का संबंध है, यह स्पष्ट रुप से परिकल्पित है कि निर्देश इत्यादि का माध्यम अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की सुविधा के अनुसार अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जा सकता है । इसलिए, भारतीय विधिज्ञ परिषद, विश्वविद्यालयों से यह पूछते हुए पत्र लिखेगा ताकि उसे अंग्रेजी भाषा में आयोजित करने के अतिरिक्त स्थानीय सुविधा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की व्यवहार्यता का भी पता लगाया जाए ।

जहां तक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का संबंध है, कतिपय प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि समान विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जानी चाहिए । भारतीय विधिज्ञ परिषद, विधिक शिक्षा के लिए नियामक निकाय होने

के कारण निश्चित रुप से इस पहलू पर विचार करेगा और इस संबंध में विश्विद्यालयों को एडवाइजरी जारी करेगा ।

****